

# हज्ज में प्रतिनिधित्व (दूसरे की ओर से हज्ज करना )

[ हिन्दी ]

## النِيَابَةُ فِي الْحَجَّ

[ اللغة الهندية ]

संकलन

सईद बिन अली बिन वह्फ अल-क़ह्तानी

د. سعید بن علی بن وهف القحطانی

(من كتاب الحج والعمرة والزيارة في ضوء الكتاب والسنة ص ١٩ - ٢٤)

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمت: عطاء الرحمن ضياء الله

المكتب التعاوني للدعوة وتنمية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एवं निर्देश कार्यालय रब्बा, रियाज़, सऊदी अरब

1429 - 2008

islamhouse.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

### हज्ज और उम्रा में किसी को प्रतिनिधि बनाना

जो आदमी स्वयं हज्ज और उम्रा करने का सामर्थ्य नहीं रखता है, जबकि उसके अन्दर (हज्ज के अनिवार्य होने की) शर्तें पूरी हो गई हैं, जैसे कि वह आदमी जो सवारी नहीं कर सकता और उस पर बैठने की शक्ति नहीं रखता है, या वह सवारी पर टिक नहीं (स्थिर नहीं हो) पाता है, और इस से स्वस्थ होने की उसे आशा नहीं है, तो ऐसे आदमी के लिए अनिवार्य है कि वह किसी को प्रतिनिधि बना दे जो उसकी ओर से हज्ज और उम्रा करे<sup>1</sup>। इसकी दलील इन्हे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हडीस है कि खस्तम नामी गोत्र की एक महिला ने कहा : ऐ अल्लाह के पैग़म्बर! हज्ज से संबंधित बन्दों पर अल्लाह का फरीज़ा मेरे बाप पर इस अवस्था में आ पहुँचा है कि वह बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वह सवारी पर बैठने की शक्ति नहीं रखते, तो क्या मैं उनकी ओर से हज्ज करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “हाँ”, और यह हज्जतुल-वदाअ की बात है।<sup>2</sup>

और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि (आप ने फरमाया):

“तुम उसकी ओर से हज्ज करो।”<sup>3</sup>

तथा अबू रज़ीन की हडीस है कि : ऐ अल्लाह के पैग़म्बर! मेरे बाप एक बूढ़े आदमी हैं, वह हज्ज और उम्रा की ताक़त नहीं रखते, और न ही सवारी पर बैठ सकते हैं, आप ने फरमाया :

“तुम अपने बाप की ओर से हज्ज और उम्रा करो।”<sup>4</sup>

<sup>1</sup> अल-मुग्नी लिङ्गे कुदामा ५/१६, शरहुल उम्दा फी बयानि मनासिकिल हज्ज वल उम्रा लिशैखिल इस्लाम इन्हे तैमियह १/१३३, १८३, अरौजुल मुरबे हाशिया इन्हे कासिम ३/५९८, अज़वाउल बयान ५/६३, शरहुज्ज़रकशी ३/३९।

<sup>2</sup> बुखारी फत्हुल बारी के साथ ३/३७८, मुस्लिम २/६७३।

<sup>3</sup> मुस्लिम २/६७४।

<sup>4</sup> अहलुस्सुनन ने इसे रिवायत किया है और अल्बामा अल्बानी ने सहीह कहा है। देखिए : सहीहुन्नसाई २/५५६, सहीह अबू दाऊद १/३४९, सहीह इन्हे माजह २/१५२, सहीहुत्तिर्मिज़ी १/२७५

यदि वह आदमी जिस पर हज्ज वाजिब था, हज्ज किए बिना मर गया, तो उस के धन में से उसकी ओर से इतना माल निकाल लिया जाए गा जिस के द्वारा उसकी ओर से हज्ज और उम्रा किया जा सके।<sup>१</sup> क्योंकि इन्हे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है कि उन्होंने कहा: सिनान बिन अब्दुल्लाह अल-जोहनी की पत्नी ने उन्हें अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह पूछने का हुक्म दिया कि उनकी माँ का देहान्त हो गया और उन्होंने हज्ज नहीं किया था, तो क्या उनका अपनी माँ की ओर से हज्ज करना उनकी ओर से किफायत करे गा? आप ने फरमाया :

“हाँ, यदि उसकी माँ के ऊपर कोई कर्ज़ हो और वह उनकी ओर से उसे चुका दे तो उसकी माँ की ओर से किफायत करे गा?”

उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

“तो उसे चाहिए कि अपनी माँ की ओर से हज्ज करे।”<sup>२</sup>

तथा इन्हे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि : एक महिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आई और कहा : मेरी माँ ने हज्ज करने की नज़र मानी थी, किन्तु वह हज्ज करने से पूर्व ही चल बसी, तो क्या मैं उसकी ओर से हज्ज करूँ ? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

“हाँ, उसकी ओर से हज्ज करो, बतलाओ अगर तुम्हारी माँ के ऊपर कोई कर्ज़ होता तो क्या तुम इसे अदा करतीं?”

उसने कहा : जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

“तो तुम उसे भी पूरा करो जो उसके लिए है क्योंकि अल्लाह तआला वफादारी का सब से अधिक योग्य है।”<sup>३</sup>

एक रिवायत के शब्द इस प्रकार हैं :

“अल्लाह के हक़ को पूरा करो; क्योंकि अल्लाह तआला इस बात का सब से अधिक योग्य है कि उसके हक़ को पूरा किया जाए।”<sup>४</sup>

और एक रिवायत में इस प्रकार है कि : एक आदमी ने कहा : मेरी बहन ने हज्ज करने की नज़र मानी थी और वह मर गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

<sup>1</sup> अल-मुग्नी लिङ्गे कुदामा ५/१६, ३६, ३८, शरहुल उम्दा फी बयानि मनासिकिल हज्ज वल उम्रा लिशैखिल इस्लाम इन्हे तैमियह १/१८३।

<sup>2</sup> टहमद १/२८७, सहीह इन्हे खुज़ैमा ४/३४३, नसाई, अल्बानी ने सहीह नसाई में कहा है : इसकी इस्नाद सहीह है २/५५६।

<sup>3</sup> बुखारी फत्हुल बारी के साथ १३/२६६।

<sup>4</sup> बुखारी फत्हुल बारी के साथ ४/६४।

“अल्लाह के हक् को पूरा करो, अल्लाह तआला कज़ा का सब से अधिक योग्य है।”<sup>1</sup>

जो आदमी किसी अन्य का प्रतिनिधि है उसके लिए दूसरे की ओर से हज्ज करना उसी समय जाइज़ है जब वह अपनी ओर से हज्ज कर चुका हो ; इसलिए कि इन्हे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हडीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी को ‘लब्बैका अन् शुब्रुमह’ (मैं शुब्रुमा की ओर से हाजिर हूँ।) कहते हुए सुना। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: “शुब्रुमह कौन है?” उसने उत्तर दिया : मेरा भाई या मेरा संबन्धी, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “व्या तू ने अपनी तरफ से हज्ज कर लिया है?” उसने कहा : नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

“(पहले) अपनी ओर से हज्ज करो फिर शुब्रुमह की ओर से करना।”<sup>2</sup>

दूसरे को प्रतिनिधि बनाने वाले को चाहिए कि ऐसे नेक वकील का चयन करे जो हज्ज व उम्रा के अहकाम को जानता हो और इस बारे में अल्लाह का ध्यान मग्न करने वाला हो (अल्लाह का आत्म-निग्रह करने वाला हो); इसलिए कि यह कुबूलियत के कारणों में से है।

तथा वकील (प्रतिनिधि) को चाहिए कि अपनी नीयत को अल्लाह के लिए शुद्ध (खालिस) कर ले और यह बात जान ले कि सहीह मत के अनुसार किसी के लिए दूसरे की ओर से हज्ज करने के लिए माल लेना उचित नहीं है सिवाए दो आदमियों के :

9. वह आदमी जो हज्ज से मैयित का ज़िम्मा बरी (भार-मुक्त) करना चाहता और इस कर्ज़ को चुका कर उस पर एहसान करना चाहता है; या तो इस कारण कि उन दोनों के बीच कोई संबन्ध है, या मोमिनों के साथ सामान्य दया और कृपा के कारण। चुनाँचे वह इतना माल लेगा जिस के द्वारा उसकी ओर से हज्ज करने पर सहायता ले सके और उस में से बचा हुआ माल वापस लौटा देगा। ऐसा आदमी मोहसिन (एहसान व भलाई करने वाला) है और अल्लाह तआला मोहसिनीन को पसन्द करता है।
2. वह आदमी जिसके अन्दर हज्ज करने तथा मशाइर (हज्ज के पवित्र स्थलों) को देखने की महब्बत और चाहत है लेकिन वह उसका खर्च उठाने से असमर्थ है, तो ऐसा आदमी अपनी ज़रूरत के अनुसार माल लेकर अपने भाई की ओर से हज्ज का फरीज़ा अदा करे गा।

<sup>1</sup> बुखारी फत्हुल बारी के साथ ९९/५८।

<sup>2</sup> अबू दाऊद, इब्ने माजह, अहमद, अल्बानी ने सहीह अबू दाऊद १/३४९ और इरवाउल ग़लील ४/१७७ में इसे सहीह कहा है।

**सारांशः** वकील (प्रतिनिधि) के लिए श्रेष्ठ यह है कि वह हज्ज करने के लिए माल ले, माल लेने के लिए हज्ज न करे। ऐसे आदमी के लिए महान पुण्य की आशा की जाती है, और अल्लाह तआला ने चाहा तो इसे उस आदमी के समान अब्र (पुण्य) मिले गा जिसने इसे वकील बनाया है या जिसकी ओर से इस ने हज्ज की है।<sup>१</sup> आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान है :

“अमानत दार (विश्वस्त) खजांची जो हृदय पूर्वक उस चीज़ को अदा करता है जिसका उसे आदेश दिया जाता है, दो सद्का करने वालों में से एक है।”<sup>२</sup>

(अर्थात् उसे भी सद्का करने वाले का अब्र मिले गा )

परन्तु वह आदमी जिसने माल लिया और आखिरत के अमल के द्वारा दुनिया का इरादा किया और उसका उद्देश्य केवल दुनिया की फ़ना हो जाने वाली (नश्वर) चीज़ है, तो ऐसे आदमी के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं।<sup>३</sup>

### अनुष्टुप्पदक

(अताऊरहमान ज़ियाउल्लाह)\*

[atazia75@gmail.com](mailto:atazia75@gmail.com)

(देखिए : अल-हज्ज वल-उम्रा वज्जियारह फी जौइल किताब वसुन्नह, लेखक : सईद बिन अली बिन वह्फ अल-कस्तानी पृ० १६-२४ )

(مَأْخُوذُهُ مِنْ كِتَابِ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ وَالزِّيَارَةِ فِي ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ لِمَؤْلِفِهِ: سَعِيدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ وَهْفٍ الْقَحْطَانِي ص: ٢٤-١٩)

<sup>1</sup> देखिए : फतावा इब्ने तैमियह २६/१४-२० कुछ परिवर्तन के साथ।

<sup>2</sup> बुखारी फल्दुल बारी के साथ ४/४३६, मुस्लिम २/७७०।

<sup>3</sup> देखिए : फतावा इब्ने तैमियह २६/२८, २०।